सत्र प्र. क्र. 188/2018

II-157

C.J.

Witness no. .....15.....for .....Prosecution.....Deposition taken the.....day of .....01/03/2019.....Witness's apparent age .....59 years.....

States on affirmation ..... My name is डॉ. एस के कालडा.....

Son of स्व. आर एल कालडा ... occupation ..... डॉक्टर .....

addres - चौबे कॉलोनी, रायपुर .....

1– मैं पिछले तीस वर्षों से रायपुर में प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरा कालडा बर्न सेंटर एवं प्लास्टिक सर्जरी का पचपेड़ी नाका में हास्पीटल है। मृतिका श्रीमती शारदा वर्मा, पति स्व. श्री सुरेश वर्मा, थाना धरसीवां जिला रायपुर को दिनांक 14/04/2018 को सौ प्रतिशत जली हुई अवस्था में मेकाहारा से मेरे कालडा बर्न सेंटर एवं प्लास्टिक सर्जरी का पचपेड़ी नाका हॉस्पीटल में भर्ती किया गया। इस दुर्घटना का कारण किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 13/04/2018 को दोपहर लगभग 01:00 बजे श्रीमती शारदा वर्मा के शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगाना बताया गया था। आहत काफी गंभीर स्थिति में थी। आहत के रिश्तेदारों द्वारा यह बताया गया था कि उसका थाना धरसीवां में आहत का बयान हो गया है।

2– उक्त भर्ती की सूचना हमारे अस्पताल की ओर से थाना प्रभारी न्यु राजेंद्र नगर को दी गयी थी, उक्त सूचना **प्र0पी0 21** है, जिस पर अस्पताल में मेरे अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी श्री शैलेष कुमार के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है। इसी तरह से दिनांक 17/04/2018 को हमारे अस्पताल की ओर से मृतिका की मृत्यु की सूचना थाना प्रभारी न्यु राजेंद्र नगर को दी गयी थी, उक्त सूचना **प्र0पी0 22** है, जिस पर अस्पताल में मेरे अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी श्री शैलेष कुमार के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है, जिन्हें मैं पहचानता हूं।

3– अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मृतिका के उपचार के संबंध में संधारित बैड हेड टिकिट प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मृतिका के उपचार का विवरण है, **प्र0पी0 23** है, जो कुल 39 पन्नों में है।

II-157
C.J.

Witness no. .....15.....for .....Prosecution.....Deposition taken

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री देवेश दीक्षित वास्ते अभियुक्त प्रीतलाल बंजारे –

4– उपचार हेतु आहता को मेरे अस्पताल में दिनांक 14/04/208 को रात्रि 01:47 बजे भर्ती किया गया था। यह कहना सही है कि आहता श्रीमती शारदा वर्मा बहुत गंभीर स्थिति में मेरे अस्पताल में उपचार हेतु लायी गयी थी, जिसकी जानकारी मैंने आहता के साथ आये हुए परिजनों को दे दी थी। यह कहना सही है कि मेकाहारा अस्पताल रायपुर के द्वारा आहता श्रीमती शारदा को रेफर किये जाने का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। स्वतः कहना है कि उसे मेकाहारा अस्पताल रायपुर से लाये थे। यह कहना सही है कि मैंने आहता शारदा के भर्ती होने की सूचना भर्ती दिनांक 14/04/2018 को ही थाना राजेंद्र नगर को प्र0पी0 21 के अनुसार दे दी थी।

5– यह कहना सही है कि आहता श्रीमती शारदा को सुमन वर्मा ने हमारे अस्पताल में भर्ती करवाया था। यह कहना भी सही है कि आहता शारदा वर्मा को भर्ती करवाते समय सुमन वर्मा ने दुर्घटना का कारण एक अज्ञात आदमी के द्वारा आहता के शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगा देना बतलाया था। यह कहना सही है कि प्र0पी0 21 के संपूर्ण इबारत शैलेष की हस्तलिपि में है। यह कहना सही है कि प्र0पी0 21 के ब से ब भाग '' दिया '' ओवर राइटिंग है। यह कहना सही है कि ब से ब भाग में पहले '' लिया '' लिखा हुआ था, जिसे बाद में '' दिया '' सुधार किया गया है। स्वतः कहना है कि जैसा उसने बताया था उसी के अनुसार लिखा गया था। यह कहना सही है कि प्र0पी0 21 के कॉलम 10 में अंकित टीप धरसीवां थाना में मरीज का बयान हो गया है, का उल्लेख हमने आहत श्रीमती शारदा के साथ आयी हुई सुमन वर्मा के बताये अनुसार लिखा था।

प्रश्न :– प्र0पी0 21 में अंकित एमएलसी नंबर 110 से संबंधित दस्तावेज क्या इस चिकित्सकीय दस्तावेजों के साथ संलग्न है ?

उत्तर :– मेरे हॉस्पीटल का रजिस्टर का सरल क्रमांक 110 भर्ती होने के संबंध में है।

II-157
C.J.

Witness no. .....15.....for .....Prosecution.....Deposition taken

6– यह कहना सही है कि आहता श्रीमती शारदा वर्मा की मृत्यु दिनांक 17/04/2018 को सुबह 06:30 बजे हुई थी, जिसकी सूचना मैंने उसी दिनांक को थाना राजेन्द्र नगर, रायपुर को सुबह 08:30 बजे दी थी। यह कहना सही है कि दिनांक 14/04/2018 के रात्रि 01:47 बजे से लेकर मृत्यु दिनांक 17/04/2018 के सुबह 08:30 बजे तक दुर्घटना का कारण की जो जानकारी हमारे पास थी, वह एक अज्ञात आदमी के द्वारा मृतिका श्रीमती शारदा वर्मा के शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगा देना था। यह कहना सही है कि उक्त जानकारी सुमन वर्मा के बताये अनुसार प्र0पी0 21 एवं प्र0पी0 22 में लिखी गयी है।

7– यह कहना गलत है कि आहत श्रीमती शारदा वर्मा मेरे हॉस्पीटल में भर्ती नहीं हुई थी। यह कहना भी गलत है कि मृतक श्रीमती शारदा वर्मा का लगातार इलाज हमारे अस्पताल में नहीं हुआ था। यह कहना भी गलत है कि प्र0पी0 23 के चिकित्सकीय संबंधी दस्तावेज मैंने पुलिस के कहने पर बनाये थे।

8– मैं आज यह नहीं बता सकता कि कोई पुलिस वाला आहता के साथ दिनांक 14/04/2018 को मेरे अस्पताल में भर्ती कराते समय उपस्थित था या नहीं।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही होना स्वीकार किया।

(सुनील कुमार नंदे)
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर .....